दिनांक 02.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 02/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहगढ़/थाना कम्पिल

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 02.03.2023 को थाना कम्पिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रूदायन स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गंगा सिंह को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कम्पिल पर पंजीकृत अभियोग धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गंगा सिंह निवासी सलेमपुर थाना पटियाली जनपद कासगंज।

जनपद खीरी/थाना गोला

- **10–10 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 02.03.2023 को थाना गोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–सुनील कुमार 2–शिवभगवान 3–सुरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोला पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुनील कुमार निवासी ग्राम बिझौली थाना गोला जनपद खीरी।

2—शिवभगवान निवासी बिझौली थाना गोला जनपद खीरी।

3—सुरेन्द्र कुमार निवासी बिझौली थाना गोला जनपद खीरी।

जनपद सम्भल/थाना सम्भल

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 बण्डल तार बरामद**

दिनांक 02.03.2023 को थाना सम्भल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्दौसी बाईपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नौशाद उर्फ कार्टून सहित अभियुक्त दिलनवाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 बण्डल तार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद उर्फ कार्टून थाना सम्भल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सम्भल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद उर्फ कार्टून निवासी मो0ठेर थाना सम्भल जनपद सम्भल।

2—दिलनवाज निवासी सैफखांसराय थाना सम्भल जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—चोरी के 02 बण्डल तार।

जनपद जौनपुर/थाना चन्दवक

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 अवैध रिवाल्वर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02.03.2023 को थाना चन्दवक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोमती नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अभिषेक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल , 01 अवैध रिवाल्वर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्ता अभियुक्त के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, जौनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दवक पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी ब्राहमणपुर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध पिस्टल , 01 अवैध रिवाल्वर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.03.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रवि घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि निवासी आवास मण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2– 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 47 लाख रूपये कीमत के 186 किलो 825 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **1550/–रूपये नगद**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनॉकः 02.03.2023 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–प्रहलाद उर्फ बुल्लू 2–पिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 47 लाख रूपये कीमत के 186 किलो 825 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 1550/–रूपये नगद, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रहलाद उर्फ बुल्लू निवासी चौघरना थाना अधौरा जनपद भभुआ बिहार।

2–पिन्टू निवासी चौघरना थाना अधौरा जनपद भभुआ बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 47 लाख रूपये कीमत के 186 किलो 825 ग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–1550/–रूपये नगद।

4–01 स्विफ्ट डिजायर कार।

जनपद मथुरा/थाना राया

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.03.2023 को थाना राया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–धर्मवीर 2–योगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 35 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना राया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मवीर निवासी खलौआ थाना राया जनपद मथुरा।

2–योगेन्द्र निवासी खलौआ थाना राया जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–35 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार, 01 मोटर साइकिल।

- **जनपद हापुड़/थाना धौलाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद हापुड़ द्वारा थाना धौलाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देवा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिल्लू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पे0जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 24 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–पेटेण्ट दवा कम्पनियों के नाम से नकली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का खुलासा, गैंग सरगना गिरफ्तार, लगभग 7.5 करोड़ रूपये की नकली दवा बरामद।</u>

दिनांक 02–03–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बद्दी, हिमाचल प्रदेश से पेटेण्ट दवा कम्पनियों के नाम की नकली दवाएं बनवाकर तथा वाराणसी में अवैध तरीके से भण्डारण कर, वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य जनपदों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों में अवैध तरीके सप्लाई करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए गैंग सरगना को गिरफ्तार कर विभिन्न कम्पनियों के नाम की नकली दवायें लगभग 300 पेटी (अनुमानित मूल्य 7.5 करोड़ रूपये लगभग) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अशोक कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रपाल निवासी टीचर्स कालोनी, सिकन्दराबाद थाना सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दषहर। वर्तमान पता–चर्च कॉलोनी मलदहिया थाना सिगरा वाराणसी।

बरामदगीः–

1. 300 पेटी विभिन्न कम्पनियों की दवाएं (अनुमानित मूल्य 7.5 करोड रूपये लगभग)
   1. MONOCEF-O, 2- GABAPIN-NT, 3- CLAVAM-625, 4- PAN-D, 5-PAN-40, 6- CEF-AZ, 7- TAXIM-O
2. नगद रू0 4,40,000/– रूपये।
3. कूटरचित बिल एवं अन्य दस्तावेज।
4. 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक :–

चर्च कॉलोनी थाना सिगरा जनपद वाराणसी। दिनांक 02–03–2023

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्प्रान्तीय गिरोहों द्वारा उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों में नकली दवाओं का अवैध व्यापार किया जा रहा है। इसमें तमाम प्राण रक्षक एवं अन्य दवाओं का नकली प्रतिरूप तैयार कर बेचा जाता है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाइयों को आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये थे। उक्त निर्देष के क्रम में निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी

अभिसूचना संकलन के क्रम में आज दिनांक 02–03–2023 को विश्वस्त सूत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिगरा क्षेत्रान्तर्गत कैण्ट रोडवेज बस स्टेशन के पीछे चर्च कॉलोनी में नकली दवाओं का व्यापार करने वाला अशोक कुमार मौजूद है, जिसके चर्च कॉलोनी एवं लहरतारा स्थित गोदाम में भारी मात्रा में नकली दवायें रखी हुई है। उक्त सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड टीम वाराणसी द्वारा श्री नरेश मोहन सहायक

आयुक्त औषधि वाराणसी मण्डल, ड्रग्स इन्सपेक्टर ए0के0 बंसल, संजय दत्त, चन्द्रेश द्विवेदी, बृजेश मौर्या, प्रभारी निरीक्षक सिगरा राजीव सिंह, चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा उ0नि0 आदित्य सिंह को साथ में लेकर विश्वस्त सूत्र द्वारा बनाये गये स्थान पर पहुॅच कर अशोक कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुये उसके सिगरा व लहरतारा स्थित गोदामों से 1-MONOCEF-O, 2-GABAPIN-NT, 3-CLAVAM-625, 4-PAN-D, 5-PAN-40, 6-CEF-AZ, 7-TAXIM-O आदि के नाम से बनायी गयी नकली दवाओं की बरामदगी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त अशोक कुमार से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि अशोक कुमार वर्ष 1987 में किसान इण्टर कालेज सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में हाईस्कूल की पढ़ाई की किन्तु परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी और बुलन्दषहर में ही गद्दे की कम्पनी में मजदूरी का कार्य करने लगा। वर्ष 2003 में मजदूरी का कार्य छोड़कर वर्ष 2003 से 2010 तक आटो रिक्षा चलाने लगा, किन्तु नुकसान होने के कारण आटोरिक्षा चलाना छोड़कर पुनः गद्दे की कम्पनी में नौकरी करने लगा और लगातार 10 वर्षो तक कम्पनी में ही मजदूरी करता रहा। उसे प्रतिमाह रू0 12,000/- मिलता था। एक बार फिर से नौकरी छूट गयी और वह फिर से आटो चलाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात बुलन्दषहर के ही नीरज नामक व्यक्ति से हुई, जो नकली दवाओं का काम करता था और वह उसका माल ढुलाई का काम भी करने लगा। यहीं से उसे इस व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई। उसे नीरज से ही थोड़ी-थोड़ी नकली दवा खरीद कर स्थानीय झोलाछाप डाक्टरों को बेचने लगा, किन्तु वर्ष 2019 में अमरोहा में नीरज द्वारा बेची गयी नकली दवा पकड़ी गयी और उसमें नीरज का नाम प्रकाष में आ गया जिसके पष्चात पुलिस नीरज को पूछताछ के लिये पकड लिया था, जिसमें नीरज के पिता द्वारा पुलिसवालों के विरूद्ध अपहरण का मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था। इस प्रकरण को लेकर काफी विवाद बढ़ने लगा, जिसके कारण वहॉ से वह भागकर विगत तीन वर्षो से वाराणसी में रोडवेज बस स्टेषन के पीछे चर्च कालोनी में किराये का कमरा व लहरतारा में गोदाम लेकर हिमाचल प्रदेष से नामी-गिरामी पेटेण्ट दवा कम्पनियों के नाम की नकली दवायें बनाने वाले कम्पनी के 1-अमित दुआ निवासी पंचकुआ हरियाणा। 2- सुनील निवासी

बद्दी हिमाचल प्रदेश। 3—रजनी भार्गव निवासी बद्दी हिमाचल प्रदेश से सम्पर्क कर नकली दवायें फर्जी बिल्टी व बिल से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दवा मंगाकर निम्नलिखित लोगों के साथ मिलकर 1—रोहन श्रीवास्तव निवासी प्रयागराज। 2—रमेश पाठक निवासी पटना बिहार 3—अशरफ निवासी पूर्णिया बिहार। 4—दिलीप निवासी पटना बिहार 5—लक्ष्मण निवासी हैदराबाद। 6—नीरज चौबे निवासी शिवपुर वाराणसी। 7—डा0 मोनू जनपद वाराणसी। 8—रेहान जनपद वाराणसी। 9—बंटी जनपद वाराणसी। 10—शशांक मिश्रा निवासी आशापुर जनपद वाराणसी। 11—ए0के0 सिंह जनपद वाराणसी। 12—अभिषेक कुमार सिंह निवासी न्यू बस्ती परासी अनपरा सोनभद्र के साथ मिलकर अपने कमरे व गोदाम पर भण्डारण करता था तथा बसों पर माल रखनें वाले कुलियों व बसों/ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोलकाता, उड़ीसा, बिहार, हैदराबाद व उ0प्र0 के वाराणसी, आगरा, बुलन्दषहर आदि शहरों में इस तरह के कारोबार करने वाले लोगों को सप्लाई देने लगा, जिससे उसे काफी मुनाफा होने लगा था। अशोक कुमार एवं इसके सहयोगियों द्वारा इस अवैध व्यापार से कमाये गये धन के संबंध में जानकारी भी की जा रही है।

उक्त सन्दर्भ में गिरफ्तार अभियुक्त को थाना सिगरा जनपद वाराणसी में दाखिल करते हुये मु0अ0सं0 61/2023 धारा 419/420/467/471/274/275/276 आई0पी0सी0 व 18/27 औषधि एवं सौन्द्रर्य प्रसाधन एक्ट पंजीकृत कराया गया है। साथ ही इस अवैध कार्य में सम्मिलित उपरोक्त लोगों को भी नामित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————